



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

निदेशक (प्रणाली) दि.वि.प्रा.
जागरी - 6179
दिनांक - 18/11/25

संस्थापना आदेश:- 688

दिनांक: 12/11/25

विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर एवं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुमोदन पर, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा., श्री दिनेश कुमार सुपुत्र श्री श्याम सिंह, निदेशक (मिनिस्टीरियल) [Sh. Dinesh Kumar S/o Sh. Shyam Singh, Director (Min.)], [परियता सं.- 33, यू.आई.डी.- 0102327] जो वर्तमान में निदेशक (वर्कचार्ज) हैं, को आयुक्त एवं सचिव के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 13 (Rs. 1,23,100 - 2,15,900/-) में (जो कि छठे वेतन आयोग में 37,400 - 67,000/- रु. के पे बैंड में 8700/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं।

2. यदि श्री दिनेश कुमार सुपुत्र श्री श्याम सिंह को ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी./ एन.एफ.एस.जी. स्कीम के अंतर्गत 37400 - 67000/- रु. के वेतनमान में 8700/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 13 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 13 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. यह पदोन्नति प्रोविज़नल है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अवमानना याचिका संख्या 314/2016 और एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 4831/2012 के परिणाम के अधीन हैं।

4. पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने श्री दिनेश कुमार सुपुत्र श्री श्याम सिंह को आयुक्त (संचार) के पद पर तैनात किया है। श्री दिनेश कुमार को उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। उनकी पदोन्नति उनके नए पद पर तैनाती (Joining) होने की तिथि से प्रभावी होगी।

(विनीत जैन) 12/11/25

आयुक्त (कार्मिक)

दिनांक:- 12/11/25

सं.-एफ.10(01)2025/सी.सी./ 1257

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
2. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. प्रधान आयुक्त (कार्मिक) / (भूमि निपटान) / (आवास) / (उद्यान), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
5. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
6. अतिरिक्त आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
7. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
8. निदेशक (डी.डी.-II), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को सूचनार्थ उनके पत्र सं A-11011/2/2022-DD.II (E-9122592) दिनांक 04.11.2025 के संदर्भ में।
9. निदेशक (कार्मिक)-I / सतर्कता I,II / प्रणाली, दि.वि.प्रा.।
10. उप निदेशक (कार्मिक)-I / सतर्कता (प्रशासन) / आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा.।
11. उप निदेशक (प्रणाली)/ पी.एम.आई.एस., दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us-> Organisation-> Personnel-> Promotions)।
12. सहायक निदेशक (कार्मिक)-I / पी.एम.आई.एस. / प्रणाली / गोपनीय कक्ष - II, दि.वि.प्रा.।
13. लेखाधिकारी (संस्था.) राजपत्रित, दि.वि.प्रा.।
14. उक्त उल्लिखित अधिकारी।
15. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।

(निधि कनोजिया)

Dr. Sanyal

